

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

प.5 (58) / आ.कृ. / एमएनओओपी / एमएम-III / 2015-16 / 2796
2838

जयपुर दिनांक 17/8/15

उप निदेशक कृषि (वि०)
बीकानेर / श्रीगंगानगर / नागौर / चुरू
हनुमानगढ़ / टोंक / बांरा / जैसलमेर / झुंझुनू / धौलपुर / अलवर

विषय - जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के अन्य दिशा-निर्देश बाबत।
प्रसंग - आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1037-1072 दिनांक 12.6.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्र के माध्यम से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. बगीचो की स्थापना के लिये पौध रोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रू० 48000/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय का प्रावधान है। इस क्रम में किसानो द्वारा उपयोग मे लिये गये पौधो के अतिरिक्त अन्य आदान यथा उर्वरक / जैविक खाद / पौध संरक्षण रसायनों पर व्यय की गयी राशि का भुगतान रूपये 48000 / प्रति हेक्टेयर की सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, किसान को किया जा सकता है। (प्रारूप संलग्न)
2. अनुदान कृषक द्वारा वर्ष 2015-16 में खेत में पौध रोपण करने पर नियमानुसार देय हैं।
3. किसान को देय अनुदान की राशि का वितरण संदर्भित पत्र में पौधों के संधारण पर अनुदान में उल्लेखित निर्देशानुसार किया जावे।


यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध राशि पर भी लागू होंगे।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव एवं आयुक्त
कृषि एवं उद्यानिकी

प.5 (58)/आ.कृ./एमएनओओपी/एमएम-III/2015-16/2796-2838 जयपुर दिनांक 17/8/14 15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अतिरिक्त निदेशक उद्यान (एनएचएम) उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि श्रीगंगानगर/बीकानेर/सीकर/जयपुर/ कोटा /जोधपुर / भरतपुर।
3. चीफ आपरेशन ऑफिसर, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि०, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. सहायक निदेशक उद्यान बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरु /हनुमानगढ /टोंक / बांरा / जैसलमेर /झुञ्जुनू/ धौलपुर/अलवर
5. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बीकानेर /श्रीगंगानगर/नागौर/चुरु/ हनुमानगढ /टोंक / बांरा / जैसलमेर /झुञ्जुनू/ धौलपुर/अलवर


(मानाराम चौधरी)

अतिरिक्त निदेशक कृषि (एमएनओओपी)

उपयोगिता प्रमाण पत्र

श्रीमान चीफ आपरेशन आफिसर/उप निदेशक कृषि (वि)
.....

विषय – जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के अन्तर्गत पौध रोपण पर अनुदान की शेष राशि उपलब्ध करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मेरे द्वारा हेक्टेयर में जैतून के उद्यान स्थापित किये गये हैं। पौधों पर अनुदान की राशि रु० राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि०/अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हो चुकी है। इस क्रम में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बगीचों की स्थापना के लिये पौध रोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रु० 48000/- प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय का प्रावधान है।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पौधे रोपण में निम्न प्रकार से स्वयं के स्तर से व्यय किया गया है –

क.स.	स्थापित किये गये पौधों की संख्या	गडढा खोदने में व्यय रु०	गडढे में गोबर की खाद, कम्पोस्ट आदि पर व्यय रु०	पौध संरक्षण रसायन एवं उर्वरक पर व्यय रु०	योग रु०

अतः आपसे निवेदन है कि अनुदान की शेष राशि रु० का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार करने की कृपा करें।

नाम कृषक	
पिता का नाम	
ग्राम	
तहसील	
जिला	
मोबाईल न०	
पौधरोपण क्षेत्र हेक्टेयर	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
दूरभाष संख्या	

हरताक्षर कृषक

भौतिक सत्यापन

कृषक श्री/श्रीमति पिता/पति का नाम
..... ग्राम तहसील जिला
द्वारा हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण किया जा चुका है एवं मेरे द्वारा इनका भौतिक
सत्यापन किया जा चुका है। अतः कृषक को शेष अनुदान की राशि रू० का भुगतान
किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

नाम भौतिक सत्यापनकर्ता
पद
पदस्थापन
मोबाईल संख्या

चीफ आपरेशन आफिसर/उप निदेशक कृषि

वित्तीय स्वीकृति

कृषक श्री/श्रीमति पिता/पति का नाम
..... ग्राम तहसील जिला
द्वारा हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार कृषक को
शेष अनुदान की राशि रू० का भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा
प्रदान की जाती है।

चीफ आपरेशन आफिसर/उप निदेशक कृषि